Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/428 Dated- 18-01-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.1276** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Hindustan Petroleum Corporation Ltd. for Retail Outlet on Ganganagar-Bikaner NH-15 (R.H.SIDE), Between Chainage ms stone 89/760 to 89/841.40, Lunkaransar-Malkisar at Village- Chak- 2 BHM, Tehsil Lunkaransar, District-Bikaner (Rajasthan)** falls within jurisdiction of **Bikaner.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1276 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl; AS above

18/1/21

(Namit Mehta)
District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ Dated-

Copy forwarded to :

1. DFO (Territorial), Bikaner
2. DFO (Stage-II), Bikaner

Add. District Collector
(Adm.), Bikaner

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक : एफ.8–1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/ दिनांक : 14.01.2021

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांकः प.6(14)प्रसु/अनु–3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 14.01.2021 को सायं 5:30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	श्री ओमप्रकाश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर	सदस्य
2	श्री बी.आर. धोजक, अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर	प्र0अधिकारी राजस्व शाखा
3.	अनिता, उप वन संरक्षक, बीकानेर	सदस्य
4.	श्री रामधन, जिला परिषद सदस्य	सदस्य
5.	श्री मदनलाल, जिला परिषद सदस्य	सदस्य
6.	श्रीमती हेमा, जिला परिषद सदस्य	सदस्य

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिधनियम 2006 एवम् नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखे गये :–

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. एप्रोच रोड़ निर्माण श्रीगंगानगर–बीकानेर रोड़ एन.एच.–15 (आर.एच.साईड) चैनेज किमी स्टोन 89/760 से 89/841.40 लूनकरनसर–मलकीसर चक 2 बीएचएम तहसील लूनकरनसर रकवा 0.1276 हैक्टेयर
2. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते– इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड़ निर्माण बीकानेर–श्रीगंगानगर रोड़ (एन.एच.–62) किमी स्टोन 40–41 (चैनेज 40/778 से 40/813) एल.एच.एस. खसरा नम्बर 335/115 मीन ग्राम किस्तुरिया तहसील लूनकरनसर रकवा 0.1823 हैक्टेयर
3. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते– भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड़ निर्माण फलोदी–बीकानेर रोड़ (एन.एच.–11) किमी स्टोन नं. 341.342 (चैनेज 341/420–341/455) खसरा नम्बर 885/877 ग्राम नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर रकवा 0.1414 हैक्टेयर
4. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते– भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड़ निर्माण फलोदी–बीकानेर रोड़ (एन.एच.–11) बीकानेर खसरा नम्बर 604/55 ग्राम लाडखा उर्फ नया गांव तहसील कोलायत जिला बीकानेर रकवा 0.1398 हैक्टेयर
5. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते–भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले में 2 लेन रायसिंहनगर–पूगल सड़क निर्माण हेतु। रकवा 47.5821 हैक्टेयर

उक्त प्रकरणों में उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है तथा क्रम संख्या 1 से 4 तक के प्रकरणों में उप वन संरक्षक,

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

बीकानेर द्वारा उनके पत्रांक 8322 दिनांक 28.12.2020 से वनाधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अनुशंषा की जा चुकी हैं।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली उपर्युक्त प्रकरणों की भूमि पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

अतः उक्त प्रकरण में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंषा की जाती है।

ओमप्रकाश
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बीकानेर

नमित मेहता
जिला कलक्टर
बीकानेर

बी.आर.धोजक
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अनिता
उप वन संरक्षक
बीकानेर

रामधन
जिला परिषद सदस्य
बीकानेर

मदनलाल
जिला परिषद सदस्य
बीकानेर

हेमा
जिला परिषद सदस्य
बीकानेर

क्रमांक : एफ.8–1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/362-66 दिनांक : 15.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर ।
2. उप वन संरक्षक, बीकानेर ।
3. उप महाप्रबन्धक--रिटेल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., 17, जमशेदजी टाटा, मुम्बई–400 020
4. मुख्य प्रबंधक (खुदरा बिक्री) जोधपुर मण्डल कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, सेक्टर 12, चौपसनी, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-- 342 008
5. टैरीटोरी (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., ग्राम सालावास, जोधपुर-- 342 013

जिला कलक्टर, बीकानेर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

क्रमांकः एसडीओ / लून / 2020 / 1300 दिनांक : 21-09-2020

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी / राज / 06 / 19 / 2015 / एफ.री / 201 दिनांक 02.06.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा कमांक प.6(14)प्रसु / अनु / -3 / 2008(1)दिनांक 14.03.08 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 21.09.2020 को प्रातः 11.00 बजे अद्योहस्ताक्षकर्ता के अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष मे सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुएः-

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति लूनकरनसर
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी लूनकरनसर
3. श्री अविनाश शर्मा ग्राम विकास अधिकारी साबनिया,जेतपुर पंचायत समिति लूनकरनसर
4. श्री सुभाष पोटलिया ग्राम विकास अधिकारी शेरपुरा पंचायत समिति लूनकरनसर
5. श्री दिनेश सिराव ग्राम विकास अधिकारी कपूरीसर पंचायत समिति लूनकरनसर

बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया।

वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड़ निर्माण श्रीगंगानगर-बीकानेर रोड़ एन.एच. – 15 (आर.एच.साईड) चैनेज किमी स्टोन 89 / 760 से 89 / 841. 40 लूनकरनसर-मलकीसर चक 2 बीएचएम तहसील लूनकरनसर पर स्थापित करने के सम्बन्ध में रक्षित वनक्षेत्र के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो के मान्यता) अधिनियम 2006•अधिनियम एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु श्री शाहनवाज पुत्र श्री शहाबुदीन जाति मुसलमान निवासी लूनकरनसर की भूमि पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा जिला कलक्टर महोदय बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो पत्रांक पत्रांक एफ.8-1( )राजस्व / वन / प्रत्या. / 19 / 6837 दिनांक 24.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ।

ग्राम पंचायत पीपेरां की बैठक दिनांक 05.08.2017 के प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार बैठक में वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत पीपेरां द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए फोरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत विषय वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रोच रोड़ निर्माण श्रीगंगानगर-बीकानेर रोड़ एन.एच. – 15 (आर.एच.साईड) चैनेज किमी स्टोन 89 / 760 से 89 / 841. 40 लूनकरनसर-मलकीसर चक 2 बीएचएम ग्राम पंचायत पीपेरां तहसील लूनकरनसर पर स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक प्रस्तावित भूमि चक 2 बीएचएम में मु0नं0 105 / 15 के किला नम्बर 5,6,7 व 15 मे कुल भूमि 2.08 बीघा हैं जिस पर सहमति पत्र जारी किया गया है के निर्माण हेतु अनापति जारी कर सहमति व्यक्त की है। उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं । ग्राम पंचायत पीपेरां की वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है का प्रमाण पत्र भिजवाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित भूमि पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट एन.एच. 15 बीकानेर गंगानगर रोड़ पर स्थापित करने हेतु अप्रोच रोड़ बनाने के लिए सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार अनुशंषा की हैं।

श्री अविनाश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी सावनिया,जेतपुर पंचायत समिति, लूनकरनसर	श्री सुभाष पोटलिया ग्राम विकास अधिकारी, शेरपुरा, पंचायत समिति, लूनकरनसर	दिनेश सिराव, ग्राम विकास अधिकारी, कपूरीसर, पंचायत समिति, लूनकरनसर
विकास अधिकारी पंचायत समिति, लूनकरनसर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, लूनकरनसर	उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

...लय ग्राम पंचायत, पीपेरां

पंचायत समिति लूनकरनसर (बीकानेर)

...कारराम मेघवाल
मो. 9166860482

क्रमांक ग्रापपी/2020/SPL-01 दिनांक 3.9.2020

मासिक बैठक दिनांक 05-08-2017 के प्रस्ताव क्रमांक-1 कि नकल

प्रस्ताव सं०-1 शाहनवाज पुत्र श्री शहाबुद्दीन जाति मुसलमान निवासी-लूनकरनसर द्वारा NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि उनकी चक 2BHM में मु०नं० 105/15 किला नं० 5,6,7 व 15 में कुल भूमि 2.05 बीघा है। जिसका उपयोग हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (H.P.) डिलरशिप (पैट्रोल पम्प) हेतु उपयोग करना चाहता है। उपस्थित सदन ने बिना कोई आपत्ति प्रस्ताव को सर्व सम्मत राय से पारित किया।

असल की नकल

प्रशासक
ग्राम पंचायत पीपेरां
पं. स. लूनकरनसर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पीपेरां
पं. स. लूनकरनसर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

प्रपत्र, नम्बर-3

दोपेरा

ग्राम समिति: सूरजकरणपुर [illegible] जिला: श्रीगंगानगर [illegible] 17-18

	बैठक की कार्य सूची का विवरण	
	आज दिनांक 05/08/2017 को पाक्षिक बैठक का आयोजन सरपंच श्री ओंकार राम मेघवाल की अध्यक्षता में [illegible] पर [illegible] रखा गया। [illegible] की कार्यवाही उपस्थित [illegible] को पढ़कर सुनाई गई बाद विचार-विमर्श पश्चात सभी प्रस्तावों का सर्व सम्मति से अनुमोदन कर प्रस्ताव पास किये। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही समाप्त की गई। ओंकार राम सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] पं. स. सूरजकरणपुर [illegible]	ओंकारराम; रामी; मानवेन्द्र; गोरदावरी; 5/8/17; हरीगढ़; बाबूलाल; [illegible]; इमरती; मैनादेवी; संतोषकंवर
	5/8/2017 प्रस्ताव सं. 1 श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी सूरजकरणपुर द्वारा NOC हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि उनकी [illegible] में मु.न. 25/15 किला 6, 7, 14, 15 में कुल भूमि [illegible] है जिस का उपयोग वे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (H.P.C.L) [illegible] (पेट्रोल पम्प) हेतु उपयोग करना चाहते हैं उपरोक्त [illegible] ने किसी कोई आपत्ति प्रस्ताव को [illegible] सर्वसम्मति से पारित किया। ओंकारराम सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] सूरजकरणपुर [illegible]	

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत [illegible] पं. स. सूरजकरणपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail